

लातूर जिल्हा कारागृह येथे ४८० बंदी क्षमतेच्या
सोळा (१६) सर्कलचे बांधकाम करण्याच्या
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत...

महाराष्ट्र शासन

गृह विभाग

शासन निर्णय क्र. जे.एल.एम.-०४२५/प्र.क्र.९५/तुरुंग-२.

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक: १६ फेब्रुवारी, २०२६.

वाचा:

- १) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ससमा २०१०/प्र.क्र.४८ भाग-१/का-१४६१, दि.११.०६.२०१८.
- २) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम भाग-२, दि.२०.९.२०१९.
- ३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२. दि.२५.९.२०१९.
- ४) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. बीएलडी/लाजिका/बेरेक/बांधकाम/प्रमा/३४१४/कक्ष-६ (३) पुणे-१. दि.११.०४.२०२५.
- ५) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार सचिव समितीचे दि.२८.१०.२०२५ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त.

प्रस्तावना :-

लातूर जिल्हा कारागृह येथे ४८० बंदी क्षमतेच्या सोळा (१६) सर्कलचे बांधकाम करणे, या बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक, कारागृह महानिरीक्षक व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कडून वाचा क्र.४ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. सदर अंदाजपत्रक उपविभागीय अभियंता यांनी सन-२०२२-२३ च्या दरसूचीवर तयार केले आहे.

सदर अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तांत्रिक छाननी केल्यानंतर, मा.मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेल्या उच्चाधिकार सचिव समितीने रु.१५९०.७५ लक्ष इतक्या रकमेच्या बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने, लातूर जिल्हा कारागृह येथे ४८० बंदी क्षमतेच्या सोळा (१६) सर्कलचे बांधकाम करण्याच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

लातूर जिल्हा कारागृह येथे ४८० बंदी क्षमतेच्या सोळा (१६) सर्कलचे बांधकाम करण्याच्या रु.१५९०.७५ लक्ष (अक्षरी रूपये पंधरा कोटी नव्वद लक्ष पंचाहत्तर हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

२. अटी व शर्ती :-

- १) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविशारदाकडून मंजुरी घेवूनच सुरु करावे.
- २) ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करूनच काम हाती घ्यावे.
- ३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१. दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
- ४) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी.
- ५) सदर कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची खातरजमा करण्यात यावी.
- ६) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करून उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात.
- ७) सदर बांधकामास सुरुवात झाल्यानंतर ते विहित वेळेत पूर्ण होईल याबाबत दक्षता घेण्यात यावी.
- ८) सदरहू बांधकामासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीचे खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, अधिक्षक, लातूर जिल्हा कारागृह यांनी अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वेळोवेळी सादर करावे.
- ९) प्रस्तावित बांधकामाच्या अंदाजपत्रकात तरतूद केलेल्या फर्निचरची खुल्या बाजारातून खरेदी न करता, ते ज्या कारागृहातून उपलब्ध होईल तेथील बंद्यांकडून तयार करून घेण्यात यावे व त्याची रक्कम संबंधित कारागृहास अदा करण्यात यावी.

३. या साठी होणारा खर्च "मागणी क्र. एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, ०१, कार्यालयीन इमारती, ०५१, बांधकाम, (११) तुरुंग, (११) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ४०५९ ०९१२, ५३, मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्शविण्यात यावा.

४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२. दि.२०.९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१ नुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४(१) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व मा. मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेल्या उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दि.२८.१०.२०२५ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिल्यानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२६०२१६१६०५४८१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(नारायण माने)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

सोबत: जोडपत्र Recapitulation sheet

प्रत,

- १) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई.
- २) मा.गृह राज्यमंत्री ग्रामीण/शहरे यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) अपर मुख्य सचिव (अ.व सु) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ४) अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ५) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ६) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- ७) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- ८) कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य विभाग, छत्रपती संभाजीनगर.
- ९) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१. मुंबई.
- १०) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२. नागपूर.
- ११) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर.
- १२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर.
- १३) निवडनस्ती तुरुंग-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

| Name of the Department : Home Department | | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------|--|--|
| Name of Work : Construction of Barracks for 480 Prisoners at District Jail Complex, Latur Dist - Latur. | | | | | |
| Executing Agency : Public Works Department | | | | | |
| Land Availability : Yes | | | | | |
| Architect : Government | | | | | |
| RECAPITULATION SHEET | | | | | |
| Sr. No. | Particulars of Scope | Unit Rate Norms | | Cost Rs. | |
| | | Rs Per (Sqmt./ Meter/ LumpSum | Component Wise | Total | |
| (A) ESSENTIAL ITEMS (Components) | | | | | |
| 1 | Building proper (Built Up Area - Sq.m) | | | | |
| | Ground Floor | 1746.98 | Sq. M | 28,000 | 4,89,15,440 |
| | First Floor | 1695.68 | Sq. M | 28,000 | 4,74,79,040 |
| | Total B.U.A. = | 3442.66 | Sq. M | | Sub Total (A1) 9,63,94,480 |
| 2 | Electrification | Internal | 5% of (A1) | 48,19,724 | |
| | | External | 6% of (A1) | 57,83,669 | |
| | Fire Fighting Arrangements etc. | | @400/Sq.M.. | 13,77,064 | |
| | AV Room, Area Lighting, Pump, Generator etc. | | L.S. | 5,00,000 | |
| | | | | Sub Total (2) | 1,24,80,457 |
| 3 | Water Supply & Sanitary Works | | 5% of (A1) | Sub Total (3) | 48,19,724 |
| 4 | Furniture | 2409.86 | | Sub Total (4) | 1,20,49,310 |
| | | | | Sub Total (A) | 12,57,43,971 |
| (B) MISCELLANEOUS ITEMS | | | | | |
| | Water Main Storage | 20000.00 | Litres 23 | 4,60,000 | |
| | Internal, Land Development, Parking, Land Scaping, Soil Investigation etc. | | 4.5% of (A1) | 43,37,752 | |
| | Plantation (20% of B.U.A x Rs 1650/-) | 688.53 | 1,650 | 11,36,078 | |
| | | | | Sub Total (B) | 59,33,829 |
| | | | | Project Cost (P)= (A) + (B) | 13,16,77,800 |
| (C) PROVISIONS | | | | | |
| | (i) Contingencies 4% on (sub total A1) | | | 38,55,779 | |
| | (ii) GST 18% on (P) | | | 2,37,02,004 | |
| | (iii) Price Escalation 5% on (P) | | | 65,83,890 | |
| | (iv) Labour Insurance 1% on (P) | | | 13,16,778 | |
| | | | | Sub Total (C) | 3,54,58,451 |
| | | | | TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C) | 16,71,36,251 |
| | | | | Say Rs. Lakhs | 1671.36 |
| 1 | Bldg Civil (A-1) | = | Rs | 28,000 /Sqm | |
| 2 | Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A) | = | Rs | 36,525 /Sqm | |
| 3 | Total (A+B) | = | Rs | 38,249 /Sqm | |